कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्याः–12/2020 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री गौरीशंकर शर्मा पुत्र श्री देवकरण शर्मा निवासी वार्ड नं. 12 वीपीओ, मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

––प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः–20.08.2020

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी को सूचना नही मिलने पर प्रत्यर्थी से सूचना दिलवाने हेतु यह अपील की है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ से पत्र क्रमांक 174 दिनांक 16.03.2020 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रति अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 174 दिनांक 16.03.2020 व इसके साथ संलग्न पत्र क्रमांक 33 दिनांक 17.01.2020 की प्रति का अवलोकन करने से पाया की सूचना का सम्बन्ध लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ द्वारा अपीलार्थी के सूचना हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 10.01.2020 की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर को अंतरित किया गया। लो. सू. अधि. एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर से अपील के सम्बन्ध में जवाब चाहे जाने पर लो. सू. अधि. एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर ने पत्रांक 801 दिनांक 02.07.2020 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की सूचना का सम्बन्ध उपखण्ड कार्यालय भादरा से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड कार्यालय, भादरा को स्थानान्तरित कर दिया गया। लो. सू. अधि. एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा से इस कार्यालय के पत्रांक 180 दिनांक 27.07.2020 द्वारा जवाब चाहे जाने पर

कोई जवाब प्राप्त नही हुआ। अतः अपीलार्थी की यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी को उसके आवेदन पत्र दिनांक 10.01.2020 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार सूचना आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में उपलब्ध करवाई जावे। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ, लो. सू. अधि. एवं उपखण्ड अधि., नोहर व अपीलार्थी को सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ़